राजस्थान–सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

Email : dm-sir-rj@nic.in
judisectionsirohi@gmail.com

क्रमांकः प.16(12)( )कोरोना/न्याय/21/ 2866 दिनांक 21-05-2021

:: आदेश ::

(अन्तर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

गृह विभाग, शासन सचिव, गृह, जयपुर के आदेश क्रमांक **प.33(2)गृह–9/2019 पार्ट दिनांक 19.05.2021** के द्वारा दिये गये निर्देशानुसार जिले में कोरोना संक्रमण की गंभीर स्थिति से मानव जीवन एवं स्वास्थ्य को खतरा लगातार बना हुआ है एवं इस खतरे से निवारण एवं बचाव के लिए शीघ्र निरोधात्मक उपाय वांछित है ।

अतः मानव जीवन की रक्षा/सुरक्षा के मध्यनजर मैं, भगवती प्रसाद, जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सिरोही जिले में दिनांक **22.05.2021** प्रातः 6.00 बजे से निम्नानुसार निषेधाज्ञा लागू करता हूँ एवं यह आदेश देता हूँ कि :–

1. जिले में किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति इकट्ठा नहीं होंगे । सार्वजनिक स्थलों पर **प्रत्येक व्यक्ति मास्क पहनने एवं सामाजिक दूरी** बनाये रखने के आज्ञापक आदेश की पालना करेगा । **"नो मास्क नो एन्ट्री"** की सख्ती से पालना की जावेगी । सार्वजनिक और कार्यस्थलों पर थूकना निषिद्ध है साथ ही शराब, पान, गुटखा, तम्बाकू आदि का सेवन निषिद्ध है ।
2. जिले के समस्त क्षेत्रों में सायं 7.00 बजे से प्रातः 5.00 बजे तक रात्रिकालिन कर्फ्यू रहेगा।
3. जहां तह सम्भव हो विवाह–समारोह का आयोजन दिनांक 31.5.2021 के पश्चात् कराया जाये, ताकि कोविड संक्रमण पर रोक लगाई जा सके । विवाह से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात–निकासी, प्रीतिभोज इत्यादि की दिनांक 31.5.2021 तक अनुमति नहीं होगी । विवाह घर पर ही अन्यथा कोर्ट मैरिज के रूप में करने की अनुमति होगी जिसमें 11 व्यक्ति अनुमत होंगे । विवाह संबंधी सूचना ऑनलाईन http://covidinfo.rajasthan.gov.in पर देनी होगी । मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल्स एवं हॉटल परिसर को शादी–समारोह हेतु बंद रखा जायेगा ।
4. किसी भी प्रकार का सामूहिक भोज के आयोजन की अनुमति नहीं होगी ।
5. अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति ही कोविड–19 प्रोटोकॉल की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए उपस्थित हो सकेंगे ।
6. समस्त प्रकार के सार्वजनिक,सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनारंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धामिक समारोह/जुलुस/त्यौहारों/मेलों की अनुमति नहीं होगी।
7. जिले में सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे । पूजा–अर्चना, इबादत आदि घर पर रहकर ही की जावें। धार्मिक स्थलों पर प्रबंधन द्वारा ही नियमित पूजा–अर्चना, इबादत आदि जारी रहेगी। जिन स्थलों पर ऑनलाईन दर्षनों की व्यवस्था हैं, वह जारी रहेगी।
8. सिनेमा हॉल्स/थियेटर/मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क एवं सामान स्थान बंद रखे जावेंगे।
9. इस प्रतिबंध से निर्वाचन प्रकिया, अति–आवश्यक सेवाओं, रेल्वे स्टेशन, बस स्टेण्ड, चिकित्सा संस्थान, राजकीय एवं सार्वजनिक कार्यालय तथा विद्यालय व महाविद्यालय में प्रयुक्त होने वाले परीक्ष कक्ष स्थानों को अपवाद स्वरूप मुक्त रखा गया है ।
10. दुकानों पर गोले बनाकर सोशल डिस्टेसिंग की पालना सुनिश्चित की जाएगी। यदि कोई दुकानदार "नो मास्क नो सर्विस" प्रोटोकॉल का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो दुकान को 72 घंटे के लिए सील कर दिया जाएगा।
11. सभी के द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन दिनांक 30.4.2021, 6.5.2021, 9.5.2021 एवं 11.5.2021 में दिये गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावें । गाईडलाईन में अनुमत गतिविधियों के अलावा समस्त प्रकार की गतिविधियां बंद रहेगी ।

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

मैं, जिला मजिस्ट्रेट सिरोही, जिले के सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश देता हूँ । यदि कोई व्यक्ति उक्त प्रतिबन्धात्मक आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270, राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020,

P.T.O.

आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 एवं अन्य सुसंगत विविध प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा ।

चूंकि विद्यमान परिस्थितियों में इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना आवश्यक है इस कारण इसकी व्यक्तिशः पालना कराया जाना सम्भव नहीं है । अतः यह आदेश धारा 144(2) दण्ड प्रकिया संहिता के तहत एक पक्षीय पारित किया जा रहा है । सर्व साधारण की जानकारी हेतु सिरोही जिले के मुख्य–मुख्य स्थानों पर इस आदेश को चस्पा कर, इलेक्ट्रोनिक मीडिया एवं समाचार–पत्रों के माध्यम से इसका प्रचार–प्रसार कर नागरिकों को सूचित किया जावें ।

यह आदेश दिनांक **22.05.2021** से दिनांक **21.06.2021** को रात्रि **12.00 बजे** तक सिरोही जिले में प्रभावी रहेगा।

उपरोक्त शर्तो में से किसी का भी उल्लंघन अपराध है और भारी जुमाने की कार्यवाही के साथ दंडनीय हैं।

यह आदेश आज दिनांक 21 .05.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी किया गया ।

(भगवती प्रसाद)
जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही
जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

क्रमांक प.16(12)( )कासो/न्याय/21/ 2866 दिनांक 21 –05–2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

1. अति. मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर
2. संभागीय आयुक्त, जोधपुर ।
3. महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, जोधपुर ।
4. वरि.शासन उप सचिव, गृह विभाग (ग्रुप–9) राजस्थान, जयपुर ।
5. पुलिस अधीक्षक, सिरोही को प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्तानुसार आदेश की पालना हेतु समस्त थानाधिकारियों को निर्देशित करावें ।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकरी, जिला परिषद, सिरोही /अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही
7. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सिरोही/ शिवगंज/ रेवदर/ पिण्डवाड़ा/ आबूपर्वत ।
8. तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सिरोही/ शिवगंज/ रेवदर/ पिण्डवाड़ा/ आबूरोड़ ।
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही ।
10. एसीपी, डीओआईटी, सिरोही को जिले की वेबसाईट पर अपलोड के लिए ।
11. समस्त जिला स्तरीय अधिकारीगण एवं सम्बन्धित ....
12. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही/ शिवगंज/ रेवदर/ पिण्डवाड़ा/ आबूरोड़ ।
13. आयुक्त, नगर परिषद्, सिरोही / आयुक्त, नगरपालिका, आबूपर्वत ।
14. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, पिण्डवाड़ा /शिवगंज /आबूरोड़ / जावाल ।
15. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकरी, सिरोही को व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु ।
16. प्रभारी अधिकारी, नियन्त्रण कक्ष / आपदा प्रबन्धन / विकास शाखा
17. निजी सहायक, जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही ।

जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही
जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही